संख्या- 22 /2017/447/24-1-17-81पी/2004 टी0सी0-।।।

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूति खण्ड-2,
गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च , 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय को आयोजनेत्तर मद में मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2678 मु0/वाहन/क्रय/2016-17, दिनांक 27.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासनादेश संख्या- 126/2016/2710/24-1-16-81 पी/2004 टी0सी0-।।।, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय को आयोजनेत्तर मद में गांडिया के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 16,34,581/- (रूपये सोलह लाख चौंतीस हजार पॉच सौ इक्यासी मात्र) (जिसमें इनोवा की क्रय धनराशि रूपये 14,00,000/- (रूपये चौदह लाख मात्र) एवं ओमनी 8 सीटर धनराशि रूपये 2,34,581/- (रूपये दो लाख चौंतीस हजार पॉच सौ इक्यासी मात्र)) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परन्तु जिस माडल की इनोवा गाडी हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी थी उसकी आपूर्ति बन्द हो जाने के दृष्टिगत कार्यवाहक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय लखनऊ के उक्त प्रस्ताव पत्र दिनांक 27.03.2017 पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 28.12.2016 को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्युत सुरक्षा निदेशालय को आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्ष के मानक मद-14 के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 17,00,000/- (रूपये सत्रह लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 14,38,699/- (रूपये चौदह लाख अड़तीस हजार छः सौ निन्यानबें मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के प्रयोगार्थ महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की गाडी मॉडल नाम बीओएल एसएलई 2 डब्ल्यू डी बीएस4 एसी जिसकी कीमत रूपये 6,68,001/- (रूपये छः लाख अड़सठ हजार एक मात्र) एवं मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की सीआईएजेड वीडीआई जिसकी कीमत रूपये 7,70,697/- (रूपये सात लाख सत्तर हजार छः सौ सत्तानबें मात्र) (डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर अनुमन्य) के क्रय पर व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित नियमों/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। इसके अतिरिक्ति वाहनों के क्रय से संबंधित विधमान आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय की जाने वाली उपरोक्त गाडियॉ डी0जी0एस0 एण्ड डी रेट पर क्रय की जायेगी।

4- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5- विद्युत सुरक्षा निदेशालय निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा करेगें।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क- आयोजनेत्तर-103 संग्रहण प्रभार-विद्वुत शुल्क-03-विद्वुत सुरक्षा निदेशालय-14-गोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 51 /दस-2017, दिनांक 30 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 22 /2017/447(1)/24-1-17, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in